न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निरील संख्याः– 443/2017 निर्णय दिनांक :–19.09.19

उनवानी दावा :

1.रामस्वरूप पुत्र भूरा गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1.तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज.)
2.राजेश पुत्र शान्तीप्रकाश जैन जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थितिः–
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख0नं0 1635 रकबा 0.96 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए मेरे पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1635 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1719 के बाद कॉलोनी का रास्ता है तथा रास्ते के बाद अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.36 है0 भूमि वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में स्थित है उक्त खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.36 है0 पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है। जिसमें से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु आता जाता रहा है। उक्त खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.50 है0 व 1640 रकबा 0.36 है0 में मुझ प्रार्थी को नया रास्ता /नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक तथा सुलभ है। क्योंकि मुझ प्रार्थी के खेत व गै. मु0 रास्ता, कॉलोनी रास्ता के मध्य अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.50 है0 व 1640 रकबा 0.36 है भूमि मे से रास्ता दिए जाने पर सबसे कम दूरी पडती है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.36 है0 पर अप्रार्थी संख्या 2 होने से आने जाने से रोकते है तथा रास्ते के लिए उपयोग–उपभोग में लेने से रोकते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त रास्ता चाहने बाबत् पारस्परिक सहमति से रास्ता लेने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थी नम्बर 2 सहमत नही हुआ। प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद तामिल होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 के व रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख. नं. 1635 रकबा 0.96 है0 ग्राम देवलीगांव का मौका निरीक्षण भू. अभि. नि. द्वारा करवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थी ख. नं. 1622 व 1626 जो कि वर्तमान में नगरपालिका देवली के नाम से दर्ज है, में से प्रार्थी की आराजी ख. नं. 1635 में आता जाता था। प्रार्थी ख. नं. 1639 व 1640 में से स्वतंत्र रास्ता चाहता है जो वर्तमान में राजेश पुत्र शान्तिलाल जैन के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर व लम्बाई 84 मीटर अर्थात 504 वर्ग मीटर क्षैत्रफल होगी। इसमें से ख. नं. 1639 में से 44 x 6= 264 वर्ग मी. व ख. नं. 1640 में से 40 x 6= 240 वर्ग मीटर है जिसको संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक है। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की डी. एल. सी दर 50450/– जिसकी दुगनी राशि 100900/– बनती है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दीवार नहीं है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में भी रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई गई है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे। इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

पत्रावली को आद्यापान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में यह नहीं बताया कि प्रार्थी पूर्व में ख. नं. 1622 व 1626 जो कि वर्तमान में नगरपालिका देवली के नाम से दर्ज है, में से प्रार्थी अपनी आराजी ख. नं. 1635 में आता जाता रहा है और तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोट दिनांक 21.11.2017 में यह नही बताया कि प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नगरपालिका देवली को पक्षकार बनाकर पूर्व में आने जाने वाले रास्ते ख. नं. 1622 व 1626 में से रास्ता ले सकता है। अन्य खातेदारी में से रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तहसीलदार देवली को भी ख. नं. 1622 व 1626 के बारे मे भी अपनी रिपोर्ट करने चाहिए थी। प्रार्थी को नगर पालिका की भूमि में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो सुखाचार व सुविधा के लिए धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। नगर पालिका देवली की भूमि मे से होकर प्रार्थी को अपनी जौत में जाने हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थी द्वारा पूर्व रास्ते के बारे में अवगत नहीं कराने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली